

2295/12



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

शायमत्र

39AB 370396

समक्ष :- 231 चरखारी महोबा जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जगदीश प्रसाद दीक्षित पुत्र भजनलाल का शायमत्र में जगदीश प्रसाद कुदीक्षित पुत्र भजनलाल आयु 56 वर्ष का निवासी रतद द्वारा ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा निम्न प्रकार से घोषणा करता हूँ।

१। यह कि मैं चरखारी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से 231 की विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी था, जिनका परिणाम 06-03-2012 को घोषित किया गया था।

२। यह कि उपर्युक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में दिनांक 3-2-2012 एवं इसके परिणाम की घोषणा की तारीख, दोनों दिन को सम्मिलित करते हुये, के बीच मैंने और मेरे निर्वाचन अभिकर्ता ने उपगत / प्राधिकृत सभी व्यय का पृथक एवं सही लेखा रखा।

३। यह कि उक्त लेखा रिटर्निंग आफिसर द्वारा इस उद्देश्य के लिये दिये गये रजिस्टर में अनुरक्षित किया गया था एवं उक्त रजिस्टर में ही उक्त लेखा में उल्लिखित वाउचर / बिल के साथ इनमें संलग्न हैं।

४। यह कि निर्वाचन के साथ सम्बन्ध में इसमें संलग्न मेरे अनिर्वाचन व्यय के लेखों में मेरे या मेरे निर्वाचन अभिकर्ता मुझे प्राबोधित करने वाला राजनीतिक दल, अन्य संगठन / मुझे समर्थन देने वाले व्यक्तियों के निकाय एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा उपगत अथवा प्राधिकृत निर्वाचन व्यय की सभी मदें भी इसमें शामिल हैं, एवं उनमें से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 के अन्तर्गत स्पष्टीकरण। एवं 2 द्वारा इसके अन्तर्गत नेताओं की यात्रा के सम्बन्ध में किये गये व्यय को छोड़कर कुल भी छिपाया अथवा रोका / दबाया नहीं गया है।

५। यह कि निर्वाचन के सम्बन्ध में उक्त लेखा के संलग्नक-11 में संलग्न निर्वाचन व्ययों के साथ विवरण में मेरे / मेरे निर्वाचन अभिकर्ता, मुझे प्रायोजित करने वाले राजनीतिक दल / अन्य संगठन / मुझे समर्थन देने वाले व्यक्तियों के निकाय एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा उपगत अथवा

K.M. D.
 NOTARY
 Dismt-Mahoba
 Pan No 5710489
 03.4.2012

पृष्ठ-2 पर

दिनांक 03.04.2012


व्यक्तियों द्वारा उपगत अथवा प्राधिकृत व्यय भी शामिल है।

§6§-यह कि पूर्व पैरा 01 से 5 में दिये गये कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य है तथा कोई भी गलती नहीं है एवं किसी भी सामग्री को छिपाया नहीं गया है।

स्थान-महोबा

दिनांक:-03-04-2012


हो अभिसाक्षी


M. J. J.
AN
03/4/12



The document Affidavit has been
justly and sworn before me by
Jagdish Pr Singh
D-5th Mahoba
The contents are read over to
him and he has acknowledged
the same. The person is identified by
me and received the same.

S/o Bhagandef
Banda - Teh. Kulpohar

Self



03.4.2012

भाग-III

अभ्यर्थी / उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा निर्वाचन व्यय का सार विवरण

व्यय की मद	निम्न द्वारा उपगत / प्राधिकृत व्यय			उपगत / प्राधिकृत कुल व्यय (रुपय 2, 3 एवं 4 का जोड़)
	अभ्यर्थी / उसके निर्वाचन अभिकर्ता	राजनैतिक दल जिसने उसे खड़ा किया है	कोई अन्य संस्था / व्यक्तियों के निकाय / व्यक्ति	
1	जन सभाएं, जुलूस इत्यादि	2	3	5
2	प्रचार सामग्री जैसे हैडबिल, पोस्टर, वीडियो एवं आडियो कैसेट, लाउडस्पीकर इत्यादि	₹0	₹0	₹0
3	इलेक्ट्रॉनिक / प्रिंट मीडिया द्वारा प्रचार (केबल नेटवर्क सहित)	10770.00		
4	इसतेमाल की गयी गाड़ियों एवं उन गाड़ियों के ईंधन पर हुआ व्यय	68600.00		
5	द्वारा / गेहूँ, जल, आउट, कैमर इत्यादि बनाना	71740.00		

6	निर्वाचन क्षेत्र के नेताओं का दौरा (नेताओं की यात्रा पर हुए व्यय के अलावा पार्टी के कार्यक्रम या प्रचार करने के लिये द्वारा 77 (i) के अधीन रखटीकरण 2 में यथा परिभाषित)					
7	अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं का दौरा					
8	प्रचार कार्यकर्ताओं पर व्यय					
9	अन्य विविध व्यय	21820				
		कुल जोड़	172930.00			

प्राप्त की गई एकग्रह संधि, यदि कोई इनाम से हो :-

1	संलग्नीतिक दल		
2	कोई अन्य संस्था / निकाय (उनके नाम एवं पता सहित)		
3	कोई व्यक्ति (नाम एवं पता सहित)		

(75)

भाग-IV

प्रयोग में लाये गए वाहनों पर व्यय का ब्यौरा

अपने राजनैतिक दल या किसी अन्य साघ/संगठन/निकाय या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अस्थायी को आपूर्ति किए गए वाहनों सहित निर्वाचन में प्रयुक्त सभी वाहनों पर किए गए व्यय का विवरण प्रदर्शित किया जाना अपेक्षित है। (इसका एकमात्र अपवाद धारा 77 (1) के अंतर्गत स्पष्टीकरण 1 और 2 के अंतर्गत आने वाले राजनैतिक दल के कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार के लिए राजनैतिक दल के नेताओं की यात्रा के संबंध में किया गया व्यय है।)

वाहन की रजिस्ट्रेशन सं०	वाहन का प्रकार	आर.ओ द्वारा जारी वाहन की परमिट सं०	भाड़े की दर			दिनों की सं० जिनके लिये प्रयोग किए गए	उपगत कुल राशि	कॉलम 6 के कुल व्यय का पृथक विवरण	
			वाहन भाड़े/अनुक्षण की दर	ईंधन प्रभार (यदि भाड़े के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है।)	ड्राइवर का प्रभार (यदि भाड़े के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है)			अस्थायी/निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा खर्च की गई राशि	राजनैतिक दल द्वारा खर्च की गई राशि
1	2	3	4 (क)	4 (ख)	4 (ग)	5	6	7	8
UP 95-7827	मोटरसाइकिल		1000.00			9	9000.00		
UP 95-D-7441	मोटरसाइकिल		1000.00			9	9000.00		
UP 95 सी 4728	मोटरसाइकिल		1000.00			9	9000.00		
UP 95-7827	मोटरसाइकिल		1150			11	17650		
UP 95-D-7441	मोटरसाइकिल		1440			10	14400		
UP 95 सी 4728	मोटरसाइकिल		1440			9	12690		

717400

कॉलम 6 का कुल योग : ₹0

71740

नोट :

1. उन सभी वाहनों, जिनके लिये स्टिर्निंग अधिकारी द्वारा परमिट जारी किया गया, की सूची वाले आदेश की प्रति सलन्गन की जाए।
2. उपर्युक्त सारणी में जन सभाओं / शैलियों / जुलूसों के लिये प्रयुक्त सभी वाहनों को भी शामिल किया जाना चाहिए।
3. यदि अभ्यर्थी / उसके रिश्तेदार / अधिकारी द्वारा निर्वाचन के उद्देश्य से अपने वाहनों का प्रयोग किया गया है, तो केवल अभ्यर्थी द्वारा व्यक्तिगत प्रयोग के लिये प्रयुक्त वाहन को छोड़कर ऐसे सभी वाहनों के भाड़े की नेशनल लागत को उपर्युक्त सारणी में व्यय की कुल राशि में शामिल किया जाएगा।

(78)

भाग-IV

प्रयोग में लाये गए वाहनों पर व्यय का ब्यौरा

अपने राजनैतिक दल या किसी अन्य संघ/संगठन/निकाय या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अन्वेषी को आपूर्ति किए गए वाहनों सहित निर्वाचन में प्रयुक्त सभी वाहनों, पर किए गए व्यय का विवरण प्रदर्शित किया जाना अपेक्षित है। (इसका एकमात्र अपवाद धारा 77 (1) के अंतर्गत स्पष्टीकरण 1 और 2 के अंतर्गत आने वाले राजनैतिक दल के कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार के लिए राजनैतिक दल के नेताओं की यात्रा के संबंध में किया गया व्यय है।)

वाहन की रजिस्ट्रेशन सं०	वाहन का प्रकार	आर ओ द्वारा जारी वाहन की परमिट सं०	भाड़े की दर			दिनों की सं० जिनके लिये प्रयोग किए गए	उपगत कुल राशि	कॉलम 6 के कुल व्यय का पृथक विवरण		
			वाहन भाड़े/अनुक्षण की दरें	ईंधन प्रभार (यदि भाड़े के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है।)	ड्राइवर का प्रभार (यदि भाड़े के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है)			अन्वेषी/निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा खर्च की गई राशि	राजनैतिक दल द्वारा खर्च की गई राशि	किसी अन्य संस्था/व्यक्तियों के निकाय/व्यक्ति द्वारा खर्च की गई राशि
1	2	3	4 (क)	4 (ख)	4 (ग)	5	6	7	8	9

कौलम 6 का कुल योग : ₹0

नोट :

1. उन सभी वाहनों, जिनके लिये स्टिनिंग अधिकारी द्वारा परामिट जारी किया गया, की सूची वाले आदेश की प्रति संलग्न की जाए।
2. उपयुक्त सारणी में जन सभाओं / शैलियों / जुलूसों के लिये प्रयुक्त सभी वाहनों को भी शामिल किया जाना चाहिए।
3. यदि अभ्यर्थी / उसके रिश्तेदार / अधिकारी द्वारा निर्वाचन के उद्देश्य से अपने वाहनों का प्रयोग किया गया है, तो केवल अभ्यर्थी द्वारा व्यक्तिगत प्रयोग के लिये प्रयुक्त वाहन को छोड़कर ऐसे सभी वाहनों के भाड़े की नेशनल लागत को उपयुक्त सारणी में व्यय की कुल राशि में शामिल किया जाएगा।

(97)

भाग-V

जन सभा/रैलियों इत्यादि पर व्यय का ब्यौरा

(अभ्यर्थी/उसके निर्वाचन अभिकर्ता/उसकी राजनीतिक पार्टी/किसी अन्य संस्था/संगठन/निकाय/अभ्यर्थी की ओर से अन्य किसी व्यक्ति द्वारा आयोजित जनसभा/रैली/जुलूस/इत्यादि का उल्लेख इस फॉर्मेट में किया जाए)

जन सभाओं/रैलियों/जुलूसों की कुल संख्या

कुल व्यय.....₹0

1 जनसभा/ रैली की तारीख	2 स्थान का पता स्टार प्रचारक/बाहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति (यदि कोई है) का नाम	3 प्राधिकारी का नाम, जिससे अनुमति ली गई संदर्भ सं० और अनुमति की तारीख	4 जन सभाओं/रैलियों/जुलूसों पर खर्च			5 अभ्यर्थी/ निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत राशि	6 राजनीतिक पार्टी द्वारा उपगत राशि और पार्टी का नाम	7 किसी अन्य संस्था/निकाय/ व्यक्ति द्वारा उपगत राशि और ऐसे व्यक्तियों का नाम
			विवरण	मात्रा	प्रति यूनिट दर			
			विवरण	मात्रा	प्रति यूनिट दर	कुल राशि		
			पंढाल एवं फिक्सचर					
			तोरण और बैरिकेडिंग					
			किराए पर लिया गया फर्नीचर					
			किराए पर लिये गए लाउडस्पीकर और माइक्रोफोन					
			पोस्टर					
			बैनर					
			कट-आउट					
			डिजिटल बोर्ड					
			प्रकाश की मंटे जैसे पक्तिवद्ध लाइट इत्यादि					
			विद्युत बोर्ड आदि का भुगतान किये गये/देय विद्युत प्रणाल					

स्थान का किसान	अन्य विक्ति: ग्राम	कुल						

दिनांक

पावती प्रपत्र

सेवा में,

रिटर्निंग आफिसर

श्रीडा चररवाड़ी

की जायदाद प्रमाण पत्र

231-222022) सिद्धांत

महोदय,

मैं अपने निर्वाचन व्ययों के लेखों के रख-रखाव के लिए अन्य दस्तावेजों के बीच क्रम सं० वाले रजिस्टर तथा इसके संलग्नकों सहित आपके दिनांक 3-4-12 के पत्र सं० 1326 की पावती देता हूँ।

2. मैंने निर्वाचन व्ययों के लेखों के रख-रखाव और उस लेखों की सही प्रति और निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी को दाखिल करने संबंधी विधि की अपेक्षाओं को नोट कर लिया है।

जो लागू न हो, उसे काट दें :-

भवदीय,
अभ्यर्थी का हस्ताक्षर और तारीख
3.4.2012